-प्रेस नोट-

दिनांक 29.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर झपटामार अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती का माल (मोबाइल फोन, दो पाजेब सफेद धातु, 01 लेडिज पर्स, पासबुक, आधार कार्ड, 700/- रूपये नकद, चाबी का 02 गुच्छे आदि सामान) व घटना में प्रयुक्त स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2025 को वादिया श्रीमती मीनू शर्मा पत्नी श्री नीलकण्ठ शर्मा निवासी मातागढ पुराना कलसीया रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 02 अज्ञात स्पलेण्डर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादिया का पर्स (जिसमें वादिया का ए0टी0एम0 कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, करीब 1000/- रूपये, एक मोबाइल फोन रेडमी कम्पनी व घर की चाबींया थी) को छीन कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0- 138/25 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल छिनैती की उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अतिशीघ्र अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 वांछित झपटामार अभियुक्तगण 1. हमजा पुत्र उस्मान निवाली मदीना कालोनी, नियर चिलकाना अड्डा, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 2. मौ0 कैफ पुत्र मौ0 खालिद निवासी नियर पानी की टंकी, खाताखेडी ,थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को दाल मण्डी पुल से आगे पाँवधोई नदी के ऊपर बनी पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से **01 मोबाइल फोन कम्पनी रेड मी, 700/- रूपये नकद, 02 पाजेब सफेद धातू व 01 काले रंग का लेडीज पर्स, 01 बैंक पासबुक, 01 गैस पासबुक, 02 आधार कार्ड, दो चाबी के गुच्छे** आदि सामान व **घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल न0 UP-11-CM-4531 को मौके पर सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः – अभियुक्तगण हमजा व मौ0 कैफ उपरोक्त ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि दिनाँक 26.07.25 को हम दोनो इसी मोटरसाइकिल से घूम रहे थे और जब हम लोग जोगियान पुल से दाल मण्डी पुल की तरफ जा रहे थे उसी समय हमसे आगे एक स्कूटी पर एक महिला हाथ में बैग पकडे हुए एक आदमी के साथ स्कूटी पर बैठी हुई जा रही थी हम दोनो ने उसके बैग को छिनने के लिए उसका पीछा करना शुरु कर दिया और भरावा ढाबा के पास मौका पाते ही बैग छिन लिया और हम दोनो मौके से भाग गये थे और उसी समान का बँटवारा करने लिए हम दोनो यहाँ पर आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. हमजा पुत्र उस्मान निवाली मदीना कालोनी, नियर चिलकाना अड्डा, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मौ0 कैफ पुत्र मौ0 खालिद निवासी नियर पानी की टंकी, खाताखेडी, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 700/- रुपये नकद
- 01 मोबाइल फोन कम्पनी रेड-मी
- 02 पायजेब (सफेद धातु)
- 01 काले रंग का लेडिज पर्स (जिसमे दो आधार कार्ड, एक गैस पास बुक, बैंक पास बुक, दो चाबी के गुच्छे)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 907 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 1354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
5. का0 1065 अनुजपाल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
6. का0 102 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांक 29.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा खेल दिखाने के नाम पर लोगो से धोखाधड़ी कर मोबाइलों की ठगी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी के 08 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त पेंसिल व रस्सी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2025 को वादी श्री शाहनवाज पुत्र अकबर वी आई पी ट्रेलर निवासी हीरनई जिला गोरखपुर हाल पता मुस्लिम कालोनी फतेहपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त गण द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर मोबाईल व 500/- रूपये ले लेने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 66/2025 धारा 318(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में खेल दिखाने के नाम पर लोगो से धोखाधड़ी कर मोबाइलों की ठगी करने वाले **04 वांछित ठग/अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र इनाम नि0 नवादा रोड थाना सदर बाजार हाल निवासी खेडा भटकव्वा संसारपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर, 2. अजीम पुत्र इरफान नि0 चार खम्भों वाली गली देहरादून चौक थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर, 3. नौशाद पुत्र गय्यूर नि0 ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर व 4. साकिर उर्फ मुन्नू पुत्र तासीन नि0 ग्राम जाबकी जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर हाल निवासी देहरादून चौक थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को कस्बा बिहारीगढ में पैन्चो रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से ठगे गये कुल 08 मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर द्वारा बताया कि हम लोग इकट्ठे होकर टैम्पो से किसी भी रास्ते पर चल देते हैं रास्ते में जो भी सवारी मिलती है टैम्पो में बैठा लेते हैं और उसे रस्सी में पेन्सिल फसा कर जीतने का लालच देकर शर्त लगाकर मोबाइल, रूपये आदि कीमती सामान को दाव पर लगवाकर गेम खेलते हैं और उसे धोखे से हराकर उसका मोबाइल एवं अन्य कीमती सामान लेकर उसे रास्ते में टैम्पो से उतारकर फरार हो जाते हैं और ठगी से जो सामान व रूपये मिलते हैं उसे आपस में बाँट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सोनू पुत्र इनाम नि0 नवादा रोड सदर बाजार हाल पता खेडा भटकव्वा संसारपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. अजीम पुत्र इरफान नि0 चार खम्भों वाली गली देहरादून चौक थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. नौशाद पुत्र गय्यूर नि0 ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. साकिर उर्फ मुन्नू पुत्र तासीन नि0 ग्राम दाबकी जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर हाल निवासी देहरादून चौक थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

01 मोबाइल फोन VIVO T2x 5G रंग आसमानी जिसका
01 मोबाइल फोन टैक्नो रंग काला
01 मोबाइल फोन ओप्पो K12X 5G रंग सफेद पिस्ता आसमानी
01 मोबाइल फोन की-पैड जियो भारत रंग नीला
01 मोबाइल OPPO A58 रंग DAZZLING GREEN
01 मोबाइल फोन ओप्पो ए रंग सलेटी
01 मोबाइल OPPO-F
01 मोबाइल VIVO 1811 रंग नीला/बैंगनी
01 पेन्सिल **(धोखाधड़ी में प्रयोग)**
01 सूत की रस्सी का टुकडा लम्बाई करीब 2.5 फुट **(धोखाधड़ी में प्रयोग)**

अभियुक्त सोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 241/2018 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना कोतवाली नगर
2. मु0अ0सं0 276/2020 धारा 414/420 भादवि थाना सदरबाजार
3. मु0अ0सं0 287/2023 धारा 398/401 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त नौशाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 133/2019 धारा 324/504/506 भादवि थाना जनकपुरी
2. मु0अ0सं0 156/2019 धारा 363/366/376 भादवि 3/4 पोक्सो एक्ट थाना जनकपुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अक्षिता सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. का0 1557 गौरव कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. का0 2379 पुनीत कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. का0 2542 राहुल कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
9. म0का0 1668 सविता थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांक:29.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत पिछले 2-3 वर्षो से जनपद प्रतापगढ़ से गुमशुदा व्यक्ति को थाने लाकर तथा "सी-प्लान एप" के माध्यम से गुमशुदा व्यक्ति के परिजनो जानकारी कर सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 28.07.2025 को समय करीब प्रातः 09.00 थाना बडगांव पुलिस को गश्त व चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति मिला था, जो ऐसे ही सडक पर घूम रहा था थाने लाकर उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हरिलाल पुत्र श्री राम लखन निवासी ग्राम पूरब देउम थाना सांगीपुर जिला प्रतापगढ उत्तर प्रदेश उम्र 41 वर्ष बताया, उसके बाद **सी-प्लान ऐप के माध्यम** से जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम पूरब देऊम के ग्राम प्रधान श्री विनोद सिंह का मोबाइल नम्बर 9919245665 लेकर सम्पर्क किया गया तथा गुमशुदा व्यक्ति के पिता श्री रामलखन का मोबाइल नम्बर 9891950388 पर सम्पर्क किया गया तो उन्होने बताया कि उनका पुत्र पिछले 2 वर्षो से लापता है जिसको काफी तलाश किया था परन्तु कही नही मिला था, जिसके पश्चात उन्हे अपने पुत्र को जनपद सहारनपुर से ले जाने के लिए कहा गया रात्री करीब 12.00 बजे गुमशुदा व्यक्ति के परिजन रेलवे स्टेशन देवबन्द पर आये तथा थाना बडगांव के लिए कोई आवागमन का साधन न मिलना बताया।

जिसके पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत सी-प्लान के माध्यम से तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा दिनांक 28.07.2025 को **गुमशुदा व्यक्ति हरिलाल पुत्र श्री राम लखन निवासी ग्राम पूरब देउम थाना सांगीपुर जिला प्रतापगढ उत्तर प्रदेश** को रेलवे स्टेशन देवबन्द पर ले जाकर उसके पिता श्री राम लखन के सकुशल सुपुर्द किया गया। अपने पुत्र को सकुशल पाकर परिजन बहुत प्रसन्न हुए तथा थाना बडगांव पुलिस का सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। यह सराहनीय कार्य श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहानपुर द्वारा चलाये जा रहे सी-प्लान ऐप का ही परिणाम है कि पिछले 02 वर्षों से लापता व्यक्ति को उसके परिजनो से मिलवाना सम्भव हो पाया।

गुमशुदा का नाम पता

हरीलाल पुत्र श्री राम लखन निवासी ग्राम पूरब देउम थाना सांगीपुर जिला प्रतापगढ उत्तर प्रदेश

गुमशुदा व्यक्ति को परिजनो से मिलवाने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. हे0कां0 843 विवेक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक - 29.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 NBW वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी जनकपुरी श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी **अभियुक्तगण 1- सूरज शर्मा पुत्र दीपक शर्मा निवासी अमरदीप कालोनी जनता रोड थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 6734/25 मु0अ0सं0- 181/14 धारा 457/380 भा0द0वि0 चालानी थाना जनकपुरी में तथा **2- शानू पुत्र फैजान निवासी ग्राम छजपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0- 7868/25 मु0अ0स0- 68/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जनकपुरी में थाना क्षेत्र जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- सूरज शर्मा पुत्र दीपक शर्मा नि0- अमरदीप कालोनी जनता रोड थाना जनकपुरी सहारनपुर

2- शानू पुत्र फैजान नि0- ग्राम छजपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0कां0 798 नरेश थाना जनकपुरी सहारनपुर
3. है0कां0 735 सूरज थाना जनकपुरी सहारनपुर

दिनांक: 29.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपऱाधिक घटनाओ की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.07.2025 को दौराने चेंकिंग थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **अंकुर पाल पुत्र बलेन्द्र निवासी कपिल विहार निकट गांधी आश्रम पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को रेलवे ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजाय़ज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 343/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने बताया कि मै यह चाकू लोगो को डराने धमकाने के लिए और आसपास के लोगो में अपना रौब जमाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकुर पाल पुत्र बलेन्द्र निवासी कपिल विहार निकट गांधी आश्रम पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार, सहारनपुर,

बरामदगी का विवरण: –

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुरेश वीर सिंह सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 460 प्रमोद कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
3. का0 2025 रहीशूद्दीन थाना सदर बाजार स0पुर

दिनांक 29.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया करीब 6-7 किलोग्राम ताँबे का तार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2025 वादी श्री अनमोल अरोडा पुत्र मनोहरलाल अरोडा निवासी मकान न0 जै017 हकीकत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर मौ0न0– 9646727434 बाबत अज्ञात अभि0 द्वारा वादी के निर्माणाधीन मकान से चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 333/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वतिय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.7.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण **1. सागर उर्फ जलेबी पुत्र बिजेन्द्र निवासी नुमाईंस केम्प सरो वाली गली थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर व 2. मनीष कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी पुष्पांजली विहार निकट देवेन्द्र नगर, कुम्हार वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को विनोद विहार कालोनी के सामने बने मैदान की झाडियो से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से कपडे के थैले से 6-7 किलो ताबे का जला हुआ तार बरामद हुए जो मु0अ0स0 मु0अ0स0 333/25 धारा 305(a)/ बी.एन.एस से सम्बन्धित है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर कि हम लोग खाली पडे मकाननिर्माणाधीन मकान से / है और उसे जलाकर तांबे तार चोरी करते निकालकर ग्राहक की तलाश कर बेच देते है। हम नशे के आदी है और इन्हे बेचकर अपने नशे का खर्चा चला लेते है। यह तार हमने करीब 5, 6 दिन पहले शास्त्री नगर में एक मकान में घुसकर रात्रि में चोरी किया था तथा घर में मौजूद अन्य बिजली के सामान एलईडी बल्ब, कटआउट आदि भी चोरी किये थे। बिजली के बाल्ब व कटआउट आदि सामान को हमने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था और उन रुपयो को नशे में खर्च कर दिया। तथा हम दोनो ने इस तार को ढमोला नदी के किनारे पर ले जाकर जला कर तांबा अलग कर लिया था और इस तार को हमने यही झाडियो मे छिपा दिया था आज हम दोनो इन तारो को बेचने की तैयारी में थे

अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. सागर उर्फ जलेबी पुत्र बिजेन्द्र निवासी नुमाईंस केम्प सरो वाली गली थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. मनीष कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी पुष्पांजली विहार निकट देवेन्द्र नगर, कुम्हार वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 6-7 किलोग्राम ताँबे का तार

अभियुक्त सागर का आपराधिक इतिहास --

1. मु0अ0स0 10/2025 धारा 305(ए)/317(2)/331(4)थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 753/2024 धारा 305(ए)/317(2)थाना सदर बाजार सहारनपुर।

अभियुक्त मनीष का आपराधिक इतिहास --

1. मु0अ0स0 162/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 28/2025 धारा 305(ए)/317(2)थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 615/2024 धारा 305(ए)/317(2)थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. उ0नि0 श्री जहांगीर थाना सदर बाजार, सहारनपुर
2. का0 1883 जितेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
4. का0 266 धीरज थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
5. का0 1565 विनय कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
6. का0 2526 लवकेश कुमार थाना सदर बाजार, साहरनपुर।

दिनांक: **29.07.2025**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित वारंण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी **अभियुक्त अतुल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को संबधित वाद स0-15703/22 धारा 380/411 भादवि में ग्राम हसनपुर भलस्वा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अतुल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी स0पुर उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना गागलहेडी स0पुर
1. उ0नि0 श्री उ0नि0 अतुल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 29.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस.315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.07.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान **01 शातिर अभियुक्त फराज खान पुत्र महताव निवासी मौहल्ला दरवारा ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतावली देहात जनपद सहारनपुर** को सेठ दौलतराम नागपाल के आम के बाग में मेन गेट के पास बेहट रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 321/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फराज खान पुत्र महताव निवासी मौहल्ला दरवारा ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतावली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर।
- 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर।

अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 402/23 धारा 307/392/411/120बी भा0द0वि0 व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार
2.मु0अ0स0 126/24 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिह चौहान थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 917 धर्मवीर सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 2059 रजत पवांर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 29.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर टुल्लु पम्प, बिजली की नई तथा पुरानी तार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.07.2025 को वादी मौ0 जावेद पुत्र जब्बार निवासी चौधरी विहार थाना को0 देहात जपनद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा निर्माणाधीन मकान से पानी की मोटर, टंकी का सामान व बिजली का तार चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 319/25 धारा 305(ए) बीएनएस पजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर-द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मकान से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **05 वांछित अभियुक्तगण 1. फरजान पुत्र सरबर नि0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर, 2. शाहरूख उर्फ जामू पुत्र शहनबाज नि0 चौधरी विहार थाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर, 3. शाहरूख पुत्र फैमीद हसन नि0 नई बस्ती पुसाना घास कान्टा थाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर, 4. मुकर्रम पुत्र अकरम नि0 अरबी मदरसा मौ0 हिन्दूस्तानियान थाना मण्डी जिला सहारनपुर व 5. मंसूर पुत्र महमूद निवासी मौहल्ला बन्जारा थाना मण्डी सहारनपुर** को सरकडी देवला मार्ग से निर्माणाधीन बाईपास पर सकलापुरी की ओर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 पानी का टुल्लु पम्प व बिजली के नए/पुरानी तार के टुकड़े बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. फरजान पुत्र सरबर नि0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. शाहरूख उर्फ जामू पुत्र शहनबाज नि0 चौधरी विहार थाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. शाहरूख पुत्र फैमीद हसन नि0 नई बस्ती पुसाना घास कान्टा थाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
4. मुकर्रम पुत्र अकरम नि0 अरबी मदरसा मौ0 हिन्दूस्तानियान थाना मण्डी जिला सहारनपुर
5. मंसूर पुत्र महमूद निवासी मौहल्ला बन्जारा थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 पानी का टुल्लु पम्प
बिजली के नए/पुरानी तार के टुकड़े

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री भीमप्रकाश थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुदेशपाल सिह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 922 गौरव त्यागी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक 29-07-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमें में अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 11.06.2015 को वादी उ0नि0 श्री राजकुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा अभि0 1.रूस्तम पुत्र लियाकत नि0 हथछोया थाना झिंझाना जनपद शामली 2.ईनाम पुत्र अब्बास 3.वादिल पुत्र याकूब नि0गण सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से स्विफट डिजायर कार HR26BF9200 में 90 किलो डोडा चूर्ण व 10 किलो डोडा बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-139/2015 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-63/15 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 29.07.2025 को अभियुक्त रूस्तम पुत्र लियाकत उपरोक्त को मु0अ0स0-139/15 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोटः-अभियुक्त 1.ईनाम पुत्र अब्बास, 2.वादिल पुत्र याकूब नि0गण सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर का वाद मा0 न्यायालय में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0)- श्रीमती रीतू गर्ग व श्री सुशील यादव
विवेचक- निरीक्षक श्री अरूण पंवार
पैरोकार-है0का0 116 महेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर